राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 42/22

दायर दिनांक 08.06.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. संजीव कुमार पुत्र देवाराम जाति नायक नि0 करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ हाल निवासी बापू नगर, गंगानगर (राज.)

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 1955, धारा 136 रा–भू0रा0अधि0 1956

निर्णय **दिनांक 17.08.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम करकेडी पटवार हल्का करकेड़ी भू–अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 456 के ख0न0 185 रकबा 1.6989 है0, ख0न0 187 रकबा 0.7928 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4917 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी के नाम हिस्सा 1/20 सहखातेदारी में दर्ज है उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सन्दीप पुत्र देवाराम दर्ज है जो सहवन से गलत दर्ज हो गया है। वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में वादी का नाम संजीव कुमार पुत्र देवाराम दर्ज है। वादी के भिन्न– भिन्न नाम सन्दीप व संजीव कुमार हो गये जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि दोनों नामों का वादी एक ही व्यक्ति है। जिसको दुरूस्त करवा कर घोषणात्मक डिक्री प्रांप्त करवा कर वादी का सही नाम सन्दीप पुत्र देवाराम के स्थान पर संजीव कुमार पुत्र देवाराम की इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। वादी की कृषि भूमि में सन्दीप गलत नाम अंकित हो जाने से किसान कार्ड बनवाने हेतु नकलें प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। इस कारण वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी की जमावन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2072–73 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या नया 456 के ख0न0 185 रकबा 1.6989 है0, ख0न0 187 रकबा 0.7928 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4917 है0 भूमि में वादी संदीप पुत्र देवाराम हि0 1/20 जाति नायक सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार [illegible] किया जाकर ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या नया 456 के ख0न0 185 रकबा 1.6989 [illegible] ख0[illegible] 187 रकबा 0.7928 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम सन्दीप पुत्र देवाराम के स्थान [illegible] संजीव कुमार पुत्र [illegible] दर्ज [illegible] करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का [illegible] पर्चा जारी हो। [illegible] शामिल पत्रावली कि[illegible]।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 42/22

1. संजीव कुमार पुत्र देवाराम जाति नायक नि0 करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ हाल निवासी बापू नगर, गंगानगर (राज.)

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

प्रतिवादी

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर डिक्री किया जाकर ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या नया 456 के ख0न0 185 रकबा 1.6989 है0, ख0न0 187 रकबा 0.7928 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम सन्दीप पुत्र देवाराम के स्थान पर संजीव कुमार पुत्र देवाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख़ 17.08.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested